[Secretary]

(i) In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Rajasthan Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 28th March, 1967 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill

(ii) In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Rajasthan Appropriation Bill 1967 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 28th March, 1967, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill'

17.34 hrs

DISCUSSION RE DEPARTURE OF MRS SVETLANA ALLILUEVA FROM INDIA TO WEST

Mr Speaker: Dr Lohia will now start his speech

Shri Vasudevan Nair (Peermade): I want to know whether this discussion is only for half an hour or more than that? This discussion is under rule 193 and some of us would like to speak. So, you can extend the time up to two and a half hours.

Mr. Speaker: Dr. Lohia may start now, we shall see.

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज): डाई घंटा तो कम से कम है। आप इस को तीन या चार घंटे कर सके तो और अच्छा है। इस से कम में काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला दो का है। एक तरफ स्वेतलाना जी का और दूसरी तरफ भारत का। कुछ लोगों ने नासमझी से या किसी कारण से कोशिश की कि इस मामले को तिकोना या चौकोना बनाया जाये। अमेरीका अथवा रूस अथवा दोनों को शामिल कर के। अच्छा होगा कि सब लोग जहां तक हो सके इसे दोकोना मामला ही रखें, स्वेतलाना का और भारत का। इस में एक बात

एक माननीय सदस्य: एक आप का।

डा० राम मनोहर लोहिया: मेरा मामला रख लेते तो यह नौबत ही न आती। तब तो वह यहां रहती ही। चली नहीं जाती।

ऐसी सूरत में मुझे सब से पहले आप से एक अर्ज गुजारनी है कि हर इन्सान की अपनी एक पैदाइशी मां होती है। स्वेतलाना की पैदाइशी मां रूस रही है। लेकिन इसके अलावा एक और मां हमेशा से रही है और अब इन्सान को उस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी है। वह है पृथ्वी माता साफ सी बात है कि पृथ्वी माता पूरी शक्ल में तो हमें नहीं मिल सकती, उस में से किसी न किसी हिस्से को पकड़ कर के ही हम जिन्दा रह सकते हैं मुझे एक तो बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज की इस क्रूर और बदतमीज शताब्दी में पृथ्वी माता का बड़ा निरादर हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र में नौकरी करने वाले लोग भी जब कहीं मरते हैं तो उन का शव उन के देश में लाया जाता है, जैसे कि भारत के जनरल के शव को, जो कि साइप्रस में मरे थे, कश्मीर और न जाने कहां कहां लाया गया था, और आस्ट्रेलिया के जनरल के शव को बिस्बेन और न जाने कहां-कहां से लाया गया था। यह पृथ्वी माता का निरादर है।

इस स्वेतलाना का मामला ऐसा बिगड़ा हुआ है कि उस को उसकी अपनी प्राकृतिक माता से बहुत दुखः हुआ। दिल छिन गया। तब उस ने एक अपनाई भावना माता, पृथ्वी माता के भारत वाले अंश को। अपनी प्राकृतिक माता ने उस का दिल दुखाया, अपनाई भावना माता ने उस को ठुकराया। सीदा सादा मामला स्वतेलाना का यही है, और बहुत दर्दनाक मामला है। एक और प्रसंग में जफर ने कहा था, बदनसीब जफर ने कि 'उसको दो गज जमी भी मिल न सकी कूए यार मे," इसी तरह से मुझे कहना है कि स्वेतलाना कितनी बदनसीब है, और हम कितने बदनसीब हैं, कि उस को दो गज जमी भी न मिल सकी कूए यार मे, और हम कितने बदनसीब हैं कि उसे यह जमीन नही दिला सके।

अब सवाल यह है कि विदेश मंत्री ने जो यहा पर 21 तारीख को ब्यान दिया था और जो असलियत है उनमे बड़ा अन्तर है। मैं आप को विदेश मंत्री जी के कुछ बयान बतला देता हू, इस इरादे से नही कि मैं यहा साबित करू कि वह असत्य बोले। मैं माने लेता हू कि जान बूझ कर के वह असत्य नही बोले। उस वक्त उनके पास जो इतला थी, उसी से हिसाब मे बोले। और आज मै उन से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने आप को सुधार ले। उन्होंने कहा था : 'एक तो यह गलत है कि इस महिला ने विदेश मंत्रालय को कोई प्रार्थना की, या किसी मंत्री को या प्रधान मंत्री को, तीनो शब्द हैं प्रार्थना शब्द है। "मंत्रालय, कोई मंत्री, प्रधान मंत्री" है। "इस देश मे रहने के लिए" साफ शब्द है "इस देश में रहने के लिये" एक दर्दनाक प्रार्थना को छोड़ दीजिये, साधारण प्रार्थना तक नहीं हुई। "मैं ने पहले कहा, और अब दोहराता हूँ कि इस लोगों ने उस का बोसा बढ़ाया। और कोई सवाल नहीं था, कोई बात नहीं थी कि वह इस देश में रहना चाहती थी।" आप याद रखिये, "इस देश मे वह रहना चाहती थी" यह विदेश मंत्री जी ने कहा। फिर एक सवाल होने पर दुबारा उन्होने कहा : "मैं किसी कानूनी शब्द की शरण नही ले रहा हू। शरण और वीजा का फर्क पडता है। उस वक्त मै उसका सहारा नही ले रहा हू। मैं कहना चाहता हू कि इस महिला ने कोई इच्छा नही जाहिर की किसी प्रकार की इस देश मे रहने के लिये।" यह शब्द बिल्कुल साफ है। इसके कोई दूसरे माने नही हो सकते।" यहा रहने की कोई इच्छा नही जाहिर की" "किसी मंत्री को, प्रधान मंत्री को विदेश मन्त्रालय को"। यहा आप प्रार्थना, इच्छा इन शब्दो पर ध्यान देगे, क्योकि अगर विदेश मंत्री जी इस वक्त कह दे कि उन के पास कोई लिखी हुई चिट्ठी नही आई तो यह बात बिल्कुल यहा पर बेमानी होगी। उन के भाषण मे चिट्ठी वगैरह का कोई सवाल नही है। इच्छा का सवाल है। यह बड़ा लम्बा किस्सा हो जायेगा इस लिये मैं विदेश मंत्री जी के बयान को छोड़ देता हू।

अब जो स्वेतलाना जी ने खत लिखा था, और वह खत लिखा देवेन्द्र बाहरी को, उस को देखिये। वह पन्द्रह सोलह वर्ष की उम्र से समाजवादी आन्दोलन के साथ बढ़ा है, पनपा है। उस समाजवादी आन्दोलन के साथ जिस ने समाज को शोषक मनुष्य से बचाना चाहा है और मनुष्य को सर्वग्राही राज्य से दोनो बातो को याद रखना जरूरी है क्योंकि किसी एक को याद रखने मे अमरीका की तरफ मामला झुक जाता है और किसी दूसरे को याद रखने से रूस की तरफ। इस लिये मैं यह दुबारा कहे देता हू कि पन्द्रह वर्ष की उम्र से पिछले चौदह वर्ष में उसने हम लोगो के साथ रह कर के समाज को शोषक मनुष्य से बचाना चाहा है और मनुष्य को सर्वग्राही राज्य से। अब स्वेतलाना लिख रही है कि "अब मैं कालाकांकर में रह सकूंगी क्योंकि राजा साहब बहुत खुश

[डॉ० राम मनोहर लोहिया]

हो गए हैं यह जानकर कि मैं मसकवी के लिए जा रही हूं। अब मैं कालाकाकर में रह सकती हूं, तमन्ती के साथ रह सकती हूं"।

एक माननीय सदस्य : राजा साहब कौन ?

डा० राम मनोहर लोहिया : कालाकाकर में एक ही राजा साहब है क्योंकि बाकी लोग लाल साहब होते हैं। छोटे भाइयों को लाल साहब कहा जाता है। यह भी एक कारण हुआ था उस बेचारी के दुखी होने का।

यह भी यह कह रही है कि मैं थक गई हूं, ऊब गई हूं और अब इस बात को आगे नहीं चलाना चाहती हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीदा (आनन्द) : यह खत उसके हाथ का लिखा हुआ है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : हाथ का लिखा हुआ है, उनके हाथ का लिखा हुआ है और जब आप चाहें मंगवा कर आपको दिखा सकता हूं। वह ऐसी जगह रखा हुआ है कि उसको लाने में देर लगेगी।

उसने कहा कि वह थकी हुई है, ऊबी हुई है। ऐसा क्यों ? क्योंकि जब कभी, उसने यह सवाल उठाया विदेश मंत्रालय के सामने या किसी भी मंत्री अथवा अफसर के सामने— मैं उन सब के नाम नहीं गिनाना चाहता हूं— उसको याद दिलाया गया कि तुम्हारी बच्चों रूस में है, दूसरे उसको याद दिलाया गया कि यहां की आबोहवा बडी गर्म है, अनुकूल नहीं रहेगी, तीसरे उसको याद दिलाया गया कि शुरू में लोग तुम को बड़ा खोजेंगे, ढूढेंगे फिर बाद में तुम्हारी पूछताछ नहीं रहेगी जो हर एक शरणार्थी की रहा करती है और चौथे उसको भारत-रूस के रिश्तों के बारे में समझाया गया। उसको घृणा हो गई, वह थक गई ऊब गई और उस बात में उसने यह भी लिखा है कि शायद यह मेरी गलती हुई है कि मैंने सब सम्भावनाओं को नहीं इस्तेमाल किया। यह बात मैं ज्यादा बता देना चाहता हूं क्योंकि स्वेतलाना जी के सामने दो पंथ थे, एक पंथ था अनुनय का, प्रार्थना का, समझाने बुझाने का। इस वक्त मैं आप से ज्यादा बात नहीं कहूंगा। इलाहाबाद में न जाने कितने जजों तक से उसने प्रार्थना की कि किसी तरह मुझे हिन्दुस्तान में रहने दो और उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है, न जाने कितने और लोगों से भी उसने प्रार्थना कि। दूसरा रास्ता मैंने उसको बताया क्योंकि वह दुखी हो कर मेरे पास भी आई थी। तब मैंने कहा था कि तुम लड़ जाओ, प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे घर आओ और वहां रहो और लोग जबर्दस्ती से तुम को हटाना चाहे तो जाने से इन्कार कर दो, देखें कौन तुम्हारे साथ जबर्दस्ती करता है। तब उसने जवाब दिया था कि जिन्दगी इतनी आसान नहीं है। यह वह मसकवी में भी मुझ को कई बार कह चुकी थी कि जिन्दगी इतनी आसान नहीं है। मैं भी ज्यादा उसको नहीं कह पाया एक तो इस कारण से कि मैं इसी तरह की एक और अमरीकन औरत मार्गो स्किन्नर को बचा नहीं पाया था जिसे पुलिस ने जबर्दस्ती मोटर और हवाई जहाज में उठा कर अमरीका भेज दिया था। मुझे डर लगा कि यह तो स्वेतलाना है, इस हीरे को मैं कहां से बचा पाऊंगा, यह तो जबर्दस्ती भेज दी जायेगी। थोड़ा मुझ को डर लगा और थोड़ा मैं इस वक्त इस सदन में स्वीकार करता हूं कि मैं गलती कर गया उस औरत के दिमाग को पहचानने में कि वह इतनी भी मजबूत हो सकती है कि लड़ जायेगी। अगर जरा भी मुझे ख्याल होता इसका तो मैं उसको जरूर रहने के लिये बाध्य करता। दूसरे वह भी बात थी कि मैं चुनाव में इतना फंसा हुआ था कि पूरा दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पाया। ये दो पंथ थे उसके सामने।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि शरणार्थी और वीसा का फर्क इस बहस में न करना। आप खुद कह चुके हो शरणार्थी-वीसा, वीसा यहां रहने के लिये, शरणार्थी कानूनी ढंग से हमेशा के लिये। खुद चौथी या पांचवी दिल्ली को देख लेना। उसका नाम जहां-पनाह हो सकता है। दस पांच बरस के लिये वह वक्त रहा होगा। दुनिया का कोई भी आदमी चाहे जहां से, दुखी हुआ, सताया हुआ यहां आकर पनाह पा सकता था। महाभारत में तो लाखों किस्से इस तरह के भरे पड़े हैं। किसी को शरण देने के लिये युद्ध तक हो जाया करते थे, राज्य तक को भी आंच में यहां के राजा डाल दिया करते थे, अगर कोई हमारे यहां रहना चाहता था तो। शेन का किस्सा है, कितने ही किस्से हैं। मैं चाहूंगा कि सदन के हर एक सदस्य का दिल दुखे यह देख कर कि इस औरत को कितना दुख पहुंचा है।

एक बात मैं भूल गया हूं। एक सभा में उन्होंने भाषण दिया था। बड़ी विचित्र बात है कि स्तालिन की लड़की इलाहाबाद में एक सभा में भाषण दे और कुछ एक लोगों को छोड़ कर किसी को पता न चले। वह लायंज क्लब की सभा थी और जज कुवर बहादुर अस्ताना उसके सभापति थे। 24 फरवरी को वह सभा हुई थी। उसमें उसने कहा था कि मैं हिन्दुस्तान पहली दफा आई हूं। मैं इस देश को प्रेम करती हूं। मेरी इच्छा है कि मैं यहां लम्बा रह सकूं। यह उसका भाषण 24 फरवरी का था। और जो उसने निजी बातें कहीं उन्हें आप अभी छोड़ दें।

इस में थोड़ी सी चीज मैं नागरिकता के बारे में कह देना चाहता हूं। अभी तक सारे संसार में नागरिकता केवल शारीरिक रही है। जितने संसार के कानून हैं, नागरिकता वे उनके अनुसार देते हैं और उसी को देते हैं जो किसी देश में पैदा होता है शरीर के हिसाब से या किसी देश में दो पांच दस बरस तक वह रह जाता है और वह भी शरीर के हिसाब से। जितने भी नागरिकता के गुण हैं वे शरीर के गुण हैं --

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करने की कोशिश करें।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस तरह की बहस में पहले मुझ को हमेशा आधा घंटा या पैंतीस मिनट मिला करते थे। अब मैं आशा करता हूं कि मुझे जरा ज्यादा समय आप देंगे।

नागरिकता के जो दूसरे गुण हैं, भावना का, मन का, चित्त का जो भारत में होना चाहिये, उपनिषदों के कारण अथवा महात्मा गांधी के कारण वह गुण बिल्कुल नागरिकता में लाया नहीं गया है। हमने यूरोप, अमरीका आदि से केवल शारीरिक गुण नागरिकता का ले लिया है। यह भी मैं आप से कह दूं कि यह भी बात मैंने खुद अपने मन से नहीं निकाली है। मेरा एक जर्मन दोस्त ब्यरनर ओयर्टल मुझ को कहा करता था कि यह क्या बात है कि तुम भी अपने देश में बिल्कुल यूरोपियन लोगों की नकल करते जा रहे हो, तुम्हारी नागरिकता तो थोड़ी बहुत मन की, चित्त की, संस्कृति की होनी चाहिये। तो यह उस हिसाब से भी बड़ी भारी गलती हो गई है।

ब्रजेश सिंह के बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूं। उनका यहां भी जिक्र हुआ है और जब भी जिक्र हुआ आम तौर से उनका कम्युनिस्ट होने के तौर पर ही जिक्र हुआ। आम तौर से उनको कम्युनिस्ट समझा जाता है। काफी अर्सा वह अपने जीवन में कम्युनिस्ट रहे हैं। लेकिन बहुत काफी अर्से वह समाजवादी भी रहे हैं। वही समाजवादी जो समाज को मैंने कहा है सर्वथा ही राज्य से बचाना चाहते हैं। यह दूसरी बात है कि हम लोग इतने गरीब और इतने मुफलिस हैं कि लोगों को अच्छी तरह

[डा० राम मनोहर लोहिया]

से रख नहीं पाते। उनका एक किस्सा मैं बताता हूं उस दिन का जब हिटलर की पलटन ने बर्लिन में मजदूर मुहल्लों में, अलेक्जेंडर प्लाट्ज और वेडिंग इलाकों में जुलूस निकाला था पहली दफा। तब वे उन्मत थीं, खुशी के मारे पागल थीं। मैं तब वहां पर पढ़ा करता था। यह ब्रजेश मेरे अतिथि के रूप में मेरे साथ ठहरे हुये थे। उनके पास कोई पासपोर्ट वगैरह नहीं था। यह मेरे भी आत्मसम्मान का मामला हो गया था; उस वक्त कुछ झगड़ा सा हो गया था जिस घर में मैं रहता था उसके लड़के से क्योंकि वह शुटसस्टाफेल या श्टुर्स आब्ताइलुग में था। बहुत मामला खराब था। हिटली दो महीने पहले ही गद्दी पर बैठा था। ब्रजेश जेल जा सकता था। मेरी सब पढ़ाई लिखाई खत्म हो सकती थी। मुझ को भी जेल भेजा जा सकता था, मुझ को निकाल सकते थे। लेकिन हम डटे रहे, उस उन्मत्ता के सामने अपने आत्म-सम्मान को बचाते हुये। यह ब्रजेश समाजवादी भी अपने जीवन में बहुत देर तक रहे हैं। और यह स्वेतलाना न सिर्फ स्तालिन की लड़की है, यह ब्रजेश की पत्नी भी है, न सिर्फ ब्रजेश की पत्नी है यह भारतीय भी है और शरीर की परिभाषा से भी तथा मेरी उस परिभाषा से भी, मन की, चित्त की, परिभाषा से भी। यह सिर्फ भारतीय नहीं, है यह आदमी भी है क्योंकि जो तीन बार मैं इससे मिला हूं मैं कह सकता हूं कि इसकी तुलना मैं एक फूल से कर सकता हूं, चम्पा हो, आर्किड हो। जीवन से ठोकर खा कर इतना इसके दिल पर असर पड़ा कि एक बार तो उसने यहां तक कह दिया था कि मैं राजनीति से घृणा करती हूं। मसखरी में मुझ से उसने कहा कि मैं राजनीति से घृणा करती हूं और राजनीति से घृणा करने के न जाने कितने कारण और उचित कारण रहे होंगे। मैं भी थोड़ी बहुत राजनीति में कुछ क्षणों में घृणा करने लगता हूं, कई बार सोचता हूं, फिर वापस लौट आता हूं, राजनीति सचमुच कितनी बुरी है। न जाने उसके मन पर क्या असर पड़ा होगा और उसी घृणा में उसने यहां कुछ हमारे दोस्तों को यह भी कहा कि तुम आजाद हो गए हो। तुमने आजादी की लड़ाई जीती, मालूम होता है कि तुम को आजादी की एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिस से तुम रूस और अमरीका से छुटकारा पा सको—इसके लिये तुम को दोबारा एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी।' जब वह यहां ठहरी हुई थी, तब उस ने ये वाक्य कहे। मैं समझता हूं कि इन वाक्यों को याद करते हुये हमें इस इन्सान के बारे में कुछ ज्यादा सोच-विचार करना चाहिये। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से लोग जब होता है, तब, कोई न कोई मामला इधर-उधर का लाकर के असली बात को बिगाड दिया करते हैं। इन्सान को ढूंढना है—इस इन्सान, स्वेतलाना को, न कि किसी अमरीकी या रूसी माम रे को।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी याद दिलाऊं कि कई दफा हम लोग गलती कर जाते हैं। जैसे, आहार के ऊपर जब चर्चा होती है, तो लोग सोचते हैं कि यह तो आहार पर चर्चा है, इसका भाषा से क्या मतलब है? तो क्या यह पशुओं का आहार है? पशुओं के आहार को भाषा से मतलब नहीं है। लेकिन मनुष्यों के आहार की उत्पत्ति और उसका वितरण अगर ठीक करना है, तो मनुष्य की भाषा के द्वारा ही हो सकता है, और किसी तरह से नही हो सकता है। उस मनुष्य को ढूंढना है।

उसी तरह से मनुष्य मरता है गोली से, गोली चाहे कांग्रेसी हो और चाहे गैर-कांग्रेसी हो। इस बात को आप ने मुझे कल कहने नहीं दिया। मैं आप से जोर से कहना चाहता हूं कि जब आप ने कल मुझे रोका, तो वह बात अच्छी नहीं रही।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (मेडक) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग [illegible] से यहाँ बैठे

हुये हैं और अब छः बज रहे हैं। माननीय सदस्य बीस मिनट से बोल रहे हैं। आखिर वह क्या कहना चाहते हैं? वह यह नहीं कहते कि हमें क्या करना है।

श्री मधु लिमये (मुंगेर): माननीय सदस्या घर जायें।

Mr. Speaker: The hon. Member will now come to the point. He has already taken twenty minutes.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं अपने समय के भीतर ही रहूंगा। मुश्किल यह है कि जहां मनुष्य की चर्चा होने लगती है, वहां कुछ लोगों को बहुत बुरा लगने लगता है। वे मनुष्य की चर्चा पसन्द नहीं किया करते हैं।

इस मनुष्य को ढूंढना आज की अवस्था में कितना जरूरी हो गया है, यह इस से प्रकट है कि जहां एक तरफ़ लाखों लोग बिन-खाये मर रहे हों, वहां दूसरी तरफ़ फ्रांसीसी खाना कितना बढ़िया होता है, उस का प्रदर्शन रूज-ए-न्वार—लाल और काला—में होता है। यह इन्सान है, स्वेतलाना है। जिस देश में ऐसी वृत्ति आ जायेगी कि लोग अपनी तकलीफ़ और अपनी कमी, कम भोजन का आपस में बराबर बंटवारा नहीं करेंगे ख़ाली यह कोशिश करेंगे कि खुद तो मस्ती में रह लो, रूज-ए-न्वार चलाते रहो, और बाकी जनता को पीसते रहो, वह जनता और वह सरकार स्वेतलाना को बचा नहीं सकती। इन्सान को ढूंढना है।

आखिर क्यों डर गये? सोचा कि भारत और रूस के रिश्ते बिगड़ जायेंगे। भारत और रूस के रिश्ते क्या बिगड़ते! यह मैं मानता हूं कि स्टालिन की लड़की रूस छोड़ कर के आये, यह रूस पर मामूली चोट नहीं थी, बहुत बड़ी चोट थी, आज से छः सात बरस पहले जब ख्रुश्चेव साहब ने स्टालिन के झूठे सच्चे, जो कुछ भी हों, पूरे किस्से सुनाने शुरू किये, शायद उसी तरह की यह चोट थी। लेकिन यह चोट लग चुकी थी, स्वेतलाना यहां आ चुकी थी। मेरा अपना ख़याल है कि अगर स्वेतलाना को यहां रहने दिया जाता, तो इस चोट को सम्हाला जा सकता था। आखिर वह क्या चाहती थी। यही तो कि बोली और आचरण का स्वातंत्र्य रहे—हम जहां चाहे जा सकें, चाहे जो बोल सकें, चाहे जिस से मित्रता कर सकें। बोली और आचरण के स्वातंत्र्य को निबाहने के लिए सर्वग्राही राज्य की ताकत को कम करना आवश्यक होता है। अगर रूस वाले शुरू में इस बात को न समझते, तो मैं ख़ाली आप को इंगलिस्तान और अमरीका के रिश्ते का एक सिद्धान्त बताये देता हूं। कई दफ़ा वे आपस में बिगड़ जाया करते हैं, तो इंगलिस्तान और अमरीका वाले कहते हैं कि देखो, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त कि एक दूसरे की कमियां भी सुन सकते हैं और सुन कर उस पर . . .

Mr. Speaker: The hon. Member should finish within two minutes. There should be some limit somewhere.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप यह न समझें कि मैं अपने अधिकार से बाहर जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं, तो मैं दो मिनट में ही ख़त्म कर देता हूं।

स्वेतलाना को जो घाव लगा था, अगर वह भारत में रह जाती, तो शायद वह धीरे धीरे पूरा हो जाता। यहां की हवा ही कुछ नर्म है, कड़ी नहीं है, लोगों के कड़ेपन को ख़त्म कर दिया करती है। यहां के लोग उस में बहुत ज्यादा सहनशील बन जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वे कम सहनशील बनें, लेकिन वे बेचारे सहनशील बन जाते हैं। अगर स्वेतलाना भारत में रह जाती, तो उस का घाव पूरा हो जाता। वह भारत में न रह सकने के कारण बाहर गई ह। स्विटज़रलैंड में है। पता नहीं है। लोग कहते हैं कि शायद वह अमरीका पहुंच गई होगी। आप याद रखना कि यह घाव बिल्कुल हरा और गहरा रहेगा, क्योंकि अमरीका और यूरोप के

[डा० राम मनोहर लोहिया]

देशों में इतना स्वातंत्र्य है अखबारों का कि वे कुरेद कुरेद कर उस से उस का किस्सा निकालेंगे और तब रूस को और ज्यादा गहरी चोट लगेगी, तब रूस और तिलमिलायेगा, तब रूस उन्मत्त हो जायेगा और तब हमारी बात को समझेगा ।

अगर स्वेतलाना हिन्दुस्तान में रह गई होती, तो रूस के लिए भी ज्यादा अच्छा रहा होता, क्योंकि बातें संयम से हो पातीं । अब वहां के स्वातंत्र्य वाले अखबार खोद-खोद कर पूरी बातें निकाल कर रूस को खराब करेंगे । चाहे अमरीका की सरकार रूस की सरकार से मित्रता निबाहना चाहती हो, लेकिन आप जानते हैं कि अमरीका में स्वातंत्र्य है । आखिर सी० आई० ए० की दिन-रात जो चर्चा होती है, उस का सहारा क्या है ? न्यूयार्क टाइम्ज़ का । वह न होता, तो वहां पर ये बहसें न हो पातीं । इस मानी में वह तोड़ तोड़ कर बातें निकालने वाला देश है ।

मैं अब भी कहना चाहता हूं कि अगर भारत और रूस के रिश्ते सुधारने हों, तो फिर स्वेतलाना को यहां ले आना चाहिए । इस के लिए कोई ऐसा मर्द या और औरत जाये—औरत जाये, तो बड़ा अच्छा है, . . । मैं ने स्वेतलाना को अभी चम्पा कहा । प्रधान मंत्री की और हरकतों के बारे में मेरी जो कुछ भी राय हो—वह हैं नहीं—लेकिन उन्हें मैं आज एक अनोखे और विरले किस्म की चमेली कहना चाहता हूं । वह गद्दी पर बैठी हुई हैं । एक चमेली गद्दी पर बैठी हो, तो एक चम्पा हमारे देश में शरण न पा कर, बीसा न पा कर, दर-दर घूमती रहे, यह अच्छा नहीं है । उस को यहां वापस बुलाओ । उस से भारत और रूस के रिश्ते कुछ अच्छे ही होंगे, बुरे नहीं होंगे, चाहे थोड़ी देर के लिए रूस हम से बिगड़ जाये और समझे कि यहां पर क्या मामला किया जा रहा है ।

आखिर में मैं फिर से उस "बदनसीब ज़फ़र" की बात कहूंगा । "ज़मीन दो गज़"—सिर्फ़ दो गज़—"कूए यार में ।" यह कूए-यार पैदाइशी वाला नहीं, यह कूए-यार है दिल वाला, भावना वाला, चित्त वाला और मन वाला ।

Mr. Speaker: Now, I have got a list of Members before me. We have already taken half an hour. Shall we take another half an hour? The Members may put questions and the hon. Minister may reply then.

श्री मधु लिमये : यह तो ढाई घंटे की बहस हो सकती है । इस को अगले सप्ताह ले जाया जाये ।

Mr. Speaker: 2 hours is the maximum limit. We need not necessarily take 2 hours. One hour may be taken on this. We have already taken half an hour. I suggest that some of you who have sent me chits put questions and then the hon. Minister may reply so that we may finish it today. The questions may be long perhaps and they may take 15 minutes and the hon. Minister may take another 15 minutes.

श्री मधु लिमये : इस से नहीं बनेगा डेढ़ घंटा और दीजिये ।

Mr. Speaker: We may finish it today. Otherwise, if we continue it tomorrow, some of the important things will be glossed over tomorrow. I am calling only those who have sent me chits; I am not taking fresh chits. The rule is very clear that only those Members who have already intimated the Speaker are permitted to take part in this. I have already got intimations from some Members. I am calling them only. Shri Surendranath Dwivedy.

Shri Nambiar: (Tiruchirappalli): I may be allowed to submit that this is not a half-an-hour discussion. This discussion is being raised under rule 193.

Mr. Speaker: I know I have called Mr. Surendranath Dwivedy.

Shri Nambiar: This is wrong, Sir. I may be allowed.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, इस पर दो-ढाई घंटे तक बहस चल सकती है, वर्ना आध घंटे की बहस में और इस में जिसको अल्प समय की बहस कहते हैं, उस में फर्क क्या है। इस को खत्म क्यों कर रहे हैं, दो-ढाई घंटे चलने दीजिये।

Mr. Speaker: 2 hours is the limit. Not more than 2 hours. The rule is very clear.

श्री मधु लिमये : तो ठीक है इस को दो घंटे चलने दीजिये।

Mr. Speaker: I will ask the House whether they are prepared to sit for another hour. I have no objection

Some Hon. Members: Yes

Mr. Speaker: Mr Surendranath Dwivedy.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) अध्यक्ष महोदय, यह जो स्वेतलाना को लेकर जो विचार हो रहा है, मालूम पड़ता है कि हमारे हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट के सामने यह सब से बड़ा सवाल है। जो भी हो, मैं समझता हू कि हमारी गवर्नमेन्ट ने जो बयान इस हाउस मे और दूसरे घर मे दिया है, उस से मामला ज्यादा रहस्यजनक बन गया है। रहस्यजनक मैं इस लिये कहता हूं—डाक्टर साहब ने विस्तार से सब बातें रखी है, मैं उस मे नही जाना चाहता हू—कि अब तक सब पढ़ कर हमें ताज्जुब लगता है कि हमारे विदेश मंत्री ने अब तक जो बातें कहीं हैं—पता नहीं क्या रुकावट है उन के मन मे, सब बात साफ़ रखने के लिये कुछ शायद कहीं अटक गये हैं। क्योंकि उन का जो बयान कल दूसरे घर में हुआ वहां उन्होंने साफ़ तौर पर बोला और दिनेश सिंह का नाम लिया—कि उनकी चाची आई तो इस में क्या खराबी है और गवर्नमेन्ट का इस में क्या ताल्लुक है ? मैं अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं जो कि अब रहे हैं, मौका अनिश्चित रहे हैं—अब वह जानते हैं कि दिनेश सिंह की चाची है जो बात साफ़ हो जाती है कि वह भारतीय हैं और उन्होंने ब्रजेश सिंह को शादी किया था। लेकिन इस घर में जब इस के ऊपर विचार हुआ, तब बार बार पूछा गया कि क्या उन्होंने ब्रजेश सिंह को मैरिज किया था, तब हमारे वैदेशिक मंत्री बोले—इस मे दिया गया है—

This Indian gentleman was not registered in Russia

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): They do not register such marriages.

Shri Surendranath Dwivedy: This Indian gentleman had a wife here who was judicially separated but not divorced from him That is the position with regard to marriage

अब प्रश्न यह है कि यह सच है कि या वह जो बोला गया है वह सच है। मैं समझता हूं कि इस बात में ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है—जो झगड़ा है वह यह है कि वह लैटर भेजा था या नहीं और दिनेश सिंह को यहां रहने के लिये बोला था या नहीं, दिनेश सिंह उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स मे मिनिस्टर थे, इस हैसियत की वजह से उन्होंने दिनेश सिंह को बोला अथवा दिनेश सिंह उनका भतीजा है, इस लिये उन को बोला, इसमें कोई फर्क की बात नही है। बात सिर्फ यह है कि अगर उसने दिनेश सिंह को यहां रहने के वास्ते बोला तो वह यहां पर रहना चाहती थी। बल्कि यह समझ लेना चाहिये कि दिनेश सिंह को सिर्फ भतीजा होने की वजह से बोला, ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस लिये कि वह एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और वह उसका यहां रहने का इन्तजाम कर देंगे, इसलिये उसने इन को बोला।

अब प्रश्न यह है कि जो लैटर हमारे सामने है, उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि दिनेश सिंह नहीं चाहते थे कि वह इस देश में रहे। इस लैटर से यह बात बिल्कुल साफ़ है। हमारे वैदेशिक मन्त्री इस बात को जानते हैं कि जब चाची यहां पर रहती है तो फिर उसका सम्पत्ति के अधिकार का सवाल भी पैदा होगा और

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

भी तरह तरह की दूसरी बातें उठेंगी। तो शायद इसी लिये वह चाहते थे कि किसी तरह भी हो, वह यहां पर न रह पायें और इसी वजह से यह सब कुछ किया गया। यह बात देश कभी विश्वास नहीं करेगा और दुनिया के लोग भी विश्वास नहीं करेंगे, चाहे आप जितनी सफ़ाई दें, कि स्वेतलाना जो इतनी दूर से आई, इतने प्रेम के साथ इस देश में आई, अपने बच्चे-बच्ची को छोड़ कर आई, उसकी इस देश में, भारत में रहने की ख्वाहिश नहीं थी तथा उसकी जो अभिलाषा थी, उसने अपनी अभिलाषा को सरकार के पास भेजा भी। जब उसने ऐसा कहा है तो फिर हमारे वैदेशिक मन्त्री यह कहें कि कोई प्राइवेट सिटिज़न किसी प्राइवेट आदमी के साथ कोई बात कहे, उससे हमारा क्या सम्बन्ध है। ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं चलता है। मैं जानना चाहता हूं कि जब ये सब बातें यहां पर कही गई हैं, तब दिनेश सिंह जी यहां पर आकर अपना परसनल एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देते हैं कि क्या बात सच है, क्या झूठ है। जब यहां पर बार बार कहा जाता है कि दिनेश सिंह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, और स्वेतलाना ने अपनी डिजायर उन को एक्सप्रेस की थी, कम्युनिकेट की थी, तब मैं जानना चाहता हूं कि वह यहां आकर क्यों नहीं पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर सब बातें जाहिर करते हैं। इससे साबित होता है कि उनकी डिजायर उसको यहां पर रखने की नहीं थी और हमारी गवर्नमेंट ने इस सारे मामले को खराब तरीके से बिगाड़ा है और जैसा डा० लोहिया ने कहा है मैं उनसे सहमत हूं कि जो हो गया, सो हो गया, अब जो कहा जाता है कि वह हम को एप्लीकेशन करे, तो एप्लीकेशन की बात नहीं है बल्कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ़ से उसको बोलना चाहिये कि हम उन को अपने देश में रखने के लिये राज़ी हैं।

Shri D. C. Sharma: I endorse every word of what Dr. Lohia has said. I think he has not distorted anything and he has not exaggerated anything. But I want to ask one question. How far is it true—this is going on in the Lobbies of Parliament: this is being whispered in almost all the homes of India; I did not want to mention names, but since my hon. friend, Shri Surendranath Dwivedy, always calls a spade by the name of a spade and since he has mentioned the name of Raja Dinesh Singh, I am also mentioning his name—how far is it true that Raja Dinesh Singh abetted by the Cabinet Secretary, Shri L. K. Jha, was responsible for hatching a plot....

Mr. Speaker: He is not Cabinet Secretary.

Shri D. C. Sharma: I do not remember the designations of all these bureaucrats.

Anyhow, how far Raja Dinesh Singh abetted by Shri L. K. Jha, Cabinet Secretary or whatever he may be....

Mr. Speaker: Do not say Cabinet Secretary.

Shri D. C. Sharma: I am sorry, but I hope he will become Cabinet Secretary some day—abetted by L. K. Jha, had a plot somewhere. I want to leave the place vague, I do not want to mention the place, to enlist the service of CIA, so that this lady who used to read the Bhagavat Gita, who could write in Hindi, who used to bathe in the holy Ganges, was spirited away out of India and taken to Switzerland, so that she could not leave a footprint on the sands of India even for one or two or three months?

Shri Nambiar: Very pertinent question.

Shri Umanath (Pudukkottai): I submit this question involves the important aspect of relationship between our country and the USSR, and, no the other hand, our own sovereignty is involved in this issue. So, I would like the whole House not to take the question in a party light, because both these things are important for our country.

My information is, and I would like Shri Chaglaji to attend to this

in a sobre rep'y and to my suggestion also....

The Minister of External Affairs Shri M. C. Chagla): I am quite sober

Shri Hem Barua (Mangaldai): Always sobre, except in the evening!

Shri Nambiar: Why this exception?

Shri Umanath: My information is that this arrangement to get Mrs. Svetlana from Soviet Union to India and then to western countries was being made from January, 1966 itself. The second information is that Mr. Dinesh Singh had undertaken with the Soviet Government leaders financial and other responsibilities also as far as her coming over here was concerned. Thirdly, after her coming, while she was at Kalakankar and at Lucknow she was contacted by CIA men; especially while at Lucknow when she went to a theatre to see the cinema, there the CIA men joined and had conversations with her. Another information is that on the day of her departure from India to Switzerland, in the evening at about 4 p.m., when she was in the Soviet Embassy, she had a phone call by which she was asked to go to Mr. Dinesh Singh's house, and then to Mr. T.N. Kaul's house, for a farewell dinner at Mr. Kaul's house. After receiving the phone call, she left for Mr. Dinesh Singh's house, and at about 7 p.m. Mr. T. N. Kaul's daughter....

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh (Parbhani): Were you in the CIA for some time? You seem to know so many things.

Shri Umanath: I got the information from the same source from where I got the information of CIA being in the American Embassy.

An hon. Member: From a Russian source?

Shri Nambiar: We are CIA to CIA.

Shri Umanath: We have got a counter-CIA, I am proud of that, to trace the CIA.

At about 7 p.m. Mr. T. N. Kaul's daughter came to the Soviet Embassy under the pretext of taking Mrs. Svetlana, and when from Mr. Dinesh Singh's house Mr. Svetlana was not returning, an enquiry was made on the phone. It was stated from Mr. Dinesh Singh's house that she must have gone to the Jumna banks for prayer because recently she had started going to temples and all those things. This is the information which I have gathered, because she had been to Mr. Dinesh's house after the phone call to spirit her away to the American Embassy, as the External Affairs Minister the other day said here.

Finally, at the airport this is what happened. The other day the External Affairs Minister said that for foreigners the "P" form is not required. My information is that as per the rules, if the ticket is purchased in foreign currency by a foreigners, no "P" form is required, but if the ticket is purchased in Indian currency, the "P" form is required. I want the Minister to clear this position.

Now, this ticket was purchased partly in foreign currency and there was shortage, and then Indian currency was paid. So, when this happened, how is it that without the "P" form she was allowed? So, the point is that either when the ticket was purchased with Indian currency and the "P" form was asked for by the airport authorities and without the "P" form she was not allowed, then, as the saying goes, it is probable that, Mr. Dinesh Singh phoned to the airport authorities and get her allowed without the "P" form; otherwise, it may be the other thing, that the airport authorities must have violated the rules and allowed her to proceed without the "P" form. The other day I said that this Mr. Rae the second secretary in the American Embassy was a CIA man after getting various confirmations. This person escorted her to Switzerland. I say that he has no business

[Shri Umanath]

to do that because it is not a case where the lady has taken an American citizenship or got asylum from America. She has not been given asylum in America. She is a Soviet citizen. Why should he accompany her when she has not been given asylum. He goes and purchases a ticket for her; he goes to Switzerland with a Soviet citizen. She is being taken away from our land to Switzerland. A Soviet citizen is being removed by the second secretary in the American Embassy. That is why I say he has violated the sovereignty of our country. I demand that he must be sent back from here and our Government must see that he is thrown out of here.

Shrimati Lakshmikantamma (Khammam): The very fact that Dr. Lohia, a turbulent Member of this House turned so romantic and humanitarian .... (*Interruptions.*) I am complementing him; I agree with him. A number of people from foreign countries have been attached to our country. In the Sivananda Ashram I have seen a number of people coming from all over the world from different countries, from west and east in search of peace. From the accounts that Dr. Lohia gave and from what I have read about her bathing in the Ganges and worshipping Lord Krishna with folded hands and closed eyes—all these show that she was attached to this country. We should not allow her coming here to be politically exploited. If we give asylum for her in this country, I do not think it will affect our relations with Russia. We should not allow this thing to be exploited politically by the CIA and other western countries; we should not allow her difficulties to be exploited by others for political purposes. Ours is a fearless country and it is our duty to uphold what is right. We must give protection to a person who is the daughter-in-law of this great land.

Shri Nambiar: Sometimes she is very sober.

Shri Sonavane: She is always sober.

Shri Hem Barua: Whatever that may be, I do not want to indulge in any witch-hunting but I would say that I do not want India to be a sanctuary for all discarded women of the world.... (*Interruptions.*)

18.18 hrs.

[SHRI BAL RAJ MADHOK *in the Chair*]

Shrimati Lakshmikantamma: Why discarded? You should not say so.

Shri Hem Barua: Whatever that might be, I want to know this. It was reported in certain sections of the Press that Svetlana had her ticket purchased with American dollars or with Indian currency. If she bought her ticket for Switzerland in American dollars, would the Minister enlighten us how it was possible for her to get American dollars? If she purchased ticket in Indian currency, how could it be possible for her to do it without a P form which is very essential for this?

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, स्वेतलाना ने यहां रहने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना या विनती औपचारिक या अनौपचारिक रूप में की थी या नहीं इस के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है, और उन की क्या इच्छा थी इस के बारे में एक चिट्ठी डा० राम मनोहर लोहिया ने सभा की टेबल पर रक्खी है। "न्यूयार्क टाइम्स" के 20 मार्च के अंक में जो कुछ मैंने पढ़ा है केवल वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं जिससे विदेश मन्त्री के दिमाग में जो बातें चल रही हैं उनकी सफाई हो जाये।

20 मार्च के न्यूयार्क टाइम्स में यह है और उस का सम्वाददाता लिखता है कि :

"Those who knew the 42-year old Svetlana during her 67 days' stay here, believe that she wanted nothing more than to remain in Kalakanker for at least a forseeable future, if not for the rest of her days. Certainly she wanted to stay. She used to say that if she were forced to leave

she would jump into the Ganga or throw herself off the Qutub Minar."

Shri D. C. Sharma: Who will now throw her off the Qutub Minar?

श्री मधु लिमये : उन के यहां रहने की इच्छा कितनी तीव्र थी यह इससे साफ होता है। मेरा ख्याल है कि कम से कम अब विदेश मन्त्री इस सत्य को स्वीकारेंगे और स्वेतलाना को सम्मान के साथ बुलायेंगे।

श्री जार्ज फरनैन्डीज (बम्बई-दक्षिण): मैं कुछ सवाल विदेश मन्त्री से पूछना चाहता हूं। क्या मन्त्री महोदय के सामने कभी ऐसी कोई चिट्ठियां आई हैं, या उन्होंने देखी हैं, जिन को श्री दिनेश सिंह व श्री टी० एन० कौल ने, अथवा इन दोनों में से एक ने दिल्ली में अमरीकी दूतावास में रहने वाले किसी अफसर को लिखा हो।

दूसरे क्या विदेश मन्त्री को इस बात की जानकारी मास्को स्थित अपने राजदूत से आई है कि जब राजदूत को विदेश मन्त्री ग्रोमिको साहब ने अमरीका के राजदूत को वहां पर बुलाया तब उन्हें ऐसा बतलाया कि हिन्दुस्तान की सरकार के बड़े मन्त्री और बड़े अफसरों के कई ऐसे कागजात हैं जिनके जरिये अमरीकी दूतावास के कई लोगों से यह अपील की गई थी कि वह स्वेतलाना को हिन्दुस्तान से बाहर जाने में मदद करें।

इसके बाद जो प्रश्न मुझे पूछना है वह एक कानूनी मामले के बारे में है। असल में डा० लोहिया ने इस मसले को जिस तरीके से छेड़ा उसके बाद शायद यह प्रश्न नहीं पूछना चाहिये, लेकिन चूंकि सरकार का कानून से सम्बन्ध है इस लिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जब स्वेतलाना हिन्दुस्तान आई तब उसको एक महीने के लिये वीजा दिया गया। 20 दिसम्बर को हिन्दुस्तान में स्वतलाना जी का आगमन हुआ और 20 जनवरी को उनका वीजा खत्म हुआ। कानूनन 20 जनवरी तक ही उन को यहां रहने का अधिकार था, और 20 जनवरी के बाद यहां से जाना चाहिये था। मगर जो उनका वीजा...

An hon. Member: Is he making a speech?

श्री जार्ज फरनेंडीज : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं हूं, आप कैसी बातें कर रहे हैं?

जब उनका वीजा 20 जनवरी को खत्म हुआ और उसके बाद जब वह बढ़ाया गया तो मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि वह 2 मार्च के बाद बढ़ाया गया। 20 जनवरी से 2 मार्च तक जो वह हिन्दुस्तान में रह गई है वह बिना वीजा के। असल में विदेश मन्त्री ने इस बात को राज्य सभा में कबूल किया है कि जो उनका वीजा बढ़ाया गया वह फरवरी महीने के बाद बढ़ाया गया। क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री इस बात का खुलासा करेंगे कि 20 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक, जिस दिन उनका वीजा बढ़ाया गया, वह किस आधार पर हिन्दुस्तान में रहीं?

इस पूरे प्रश्न को पेश करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मैं पहले दिन से इस बात को देख रहा हूं कि जब विदेश मन्त्री श्री दिनेश सिंह के बारे में या श्री टी० एन० कौल के बारे में कुछ कहते हैं तो उनके खानगी जीवन—प्राइवेट एण्ड पर्सनल लाइफ़—को अलग रहते हैं और हमारे मन्त्री बन कर बैठने को अलग रखते हैं। मेरा निवेदन इतना ही है श्री दिनेश सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है वह पर्सनल तरीके से लिखी हो सकती है प्राइवेट हो सकती है, लेकिन क्या मन्त्री महोदय ने उस चिट्ठी को कभी देखा है। इसका जवाब दिया जाये।

श्री रणबीर सिंह (रोहतक) : सभापति महोदय, मैं मिनिस्टर महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह हकीकत है कि मि० बृजेश सिंह मुतवफ़्फ़ा की एक औरत जिन्दा है अब भी और उसके बच्चा भी है? क्या हिन्दुस्तान के कानून के तहत जब बच्चा जिन्दा है,

[श्री रणधीर सिंह]

और जिन्दा है तो श्री बृजेश सिंह की प्रापर्टी जो है उसके असली वारिस कानून से यह औरत और बच्चा नहीं है? जब कानून की नजर में पहली औरत जिन्दा है तो इस देश के कानून के तहत क्या बाइगमी अलाउड; अगर नहीं है तो क्या कानून की नजर में स्वेतलाना बृजेश सिंह की औरत कहला सकती है? अगर नहीं कहला सकती तो क्या उस की जायदाद की वारिस हो सकती है।

इसके बाद एक सवाल रह जाता है कि क्या यह सारी कहानी कि हमारे मिनिस्टर श्री दिनेश सिंह ने उस को इस वास्ते यहां से भिजवाने का प्रबन्ध किया कि कहीं उसको प्रापर्टी न मिल जाये ककाक्टेड नहीं है और महज एक प्रोपेगेन्डा है?

Shri Vasudeven Nair: All the statements made by the Minister till now have only strengthen the impression that many of those in authority had a disgraceful role in the whole affair. I should like to know whether, as directed by the Chairman of the Rajya Sabha, the External Affairs Minister has verified whether Madam Svetlana had any personal talk with Mr. Dinesh Singh in a personal capacity about her desire either to stay in India or to elope to any other country....

Shri D. C. Sharma: 'Elope' is not parliamentary.

Shri Vasudevan Nair: .. ..go, elope or visit any other country? Has the Government verified whether this lady really left in a taxi from the Soviet Embassy to the American Embassy, as it is claimed by the Government, or whether she went to the American Embassy from Mr. T. N. Kaul's house after a dinner? May I know whether, when a foreigner goes out from this country, in the airport there is a practice of verifying the passport and finding out whether there is an endorsement in that passport for all those countries concerned—Italy or Switzerland?

If it is a fact that there was no endorsement and if it is also a fact that our authorities verified it and found that there was no endorsement, why is it that they did not take any steps to find out whether there were any suspicious circumstances in which Madam Svetlana was leaving India?

Shri M. C. Chagla: Sir, I want to look at this affair as a human affair, a matter concerning a private individual, a woman who has come to our country, whom Dr. Lohia described in such lyrical terms. May I say, I entirely agree with him that in the past our country has given asylum and shelter to many? Only recently, the Dalai Lama left Tibet and we gave him refuge and protection. Hundreds of thousands of Tibetans came here, we gave them refuge. Even today we are educating them, we are building homes for them, we are doing everything possible. Therefore, our country has a great tradition. Ours is a free society. We are proud of it We do not compel anybody to go out of our country. We do not force anybody out of our home. If anybody wants to come here, if anybody wants to stay here, he is welcome. I want to assure this House, I want to give my solemn assurance to this House, that as far as this Government is concerned it has done nothing whatever to violate those great traditions and ideals of our country.

I shall satisfy this House, even if I have to take some time—I hope you will forgive me, Sir, because all sorts of things have been said—that many things that have been said are without any basis, that speculations have been indulged in because something appeared in some newspapers. I am very happy that hon. lady Member there said the right thing. Let us not make political exploitation out of this woman's case. Let us not involve other countries in this case. Let us deal with this case as a case of human being. I do not want this House to say anything which will unnecessarily involve us with our friendly countries. I am sure nobody wants to do it, neither my hon. friends, on this side nor my hon. friends on the other side. Therefore, I am prepared to deal with this

case as I see it from the point of this young woman. I appreciate and understand the sympathy felt by the hon. Members of this House. I would have felt the same if I had been satisfied that this woman had been driven out of this country and I would have come and told this here. I would have felt as indignant as hon. Members have felt. But I am standing here today because I am satisfied, and I will satisfy you, that this is not a case where a woman has been driven out of this country against her will, a woman who wanted to stay with us.

Let us look at some salient facts.

Shri D. C. Sharma: This is the story you have got from your officials.

Shri M. C. Chagla: Let us look at the salient undisputed facts. This young woman was not a guest of the Government. She was not invited here by the Government What an hon Member has said is absolutely incorrect, that there was some arrangement between Shri Dinesh Singh and the Russian Government that she would come here, he would finance her visit and he would be responsible for her stay. That is not correct. She—I pay a tribute to her for that—was in love with this man, Mr Brijesh Singh—I will come to the relationship. He was very kind to her He died It broke her heart She knew the Indian custom, the Hindu custom. Here was a man who died in a foreign country and not in his mother country. She wanted to bring his ashes to India. This is the background of her visit to India.

A question was asked as to what was the relationship. This man, Mr. Brijesh Singh, had a wife living here who was judicially separated from him. Therefore, legally and technically he could not have married her But apart from the technicality, they had lived as husband and wife and they were attached to each other Unless you believe in the form of marriage, well, if a man and woman are loyal to each other and they are in love with each other, in my eyes at least it is marriage. In that sense certainly she was his wife and she showed that she was his wife by the respect she paid to him and by trying to bring his ashes all the way from Russia to this country. Also, remember that she has two children in Russia of her earlier husband, Russia is her home, she has her family there She was not unattached and she had two children, but the devotion and dedication she had for this man was great I never met him as Shri Lohia has. I never saw her as he has. So I do not know them personally

डा० राम मनोहर लोहिया : जिन्दगी दूसरी तरह चलाते तो ये सब मुलाकातें होती ।

Shri M. C. Chagla: Therefore, as I was saying, let us keep this background in mind. If a private Russian woman is coming to India on a private visit on a private mission, however sacred that mission may be in our eyes it is a sacred mission—the Government has nothing to do with it Shri Dinesh Singh had nothing to do with it except for the fact that the ashes she was bringing happened to be the ashes of his own uncle

Now, what happens? She comes on a Russian passport with a visa for one month The visa expired. If we were so minded to get rid of her, we could have said "well, your visa has expired; you have to go back" But we did not say that I was asked by some hon. Member—I think it was Shri George Fernandes—what is the legal position when the visa expires

डा० राम मनोहर लोहिया आज चालाकी का मौका नहीं है । वीसा के बारे में जानते हो कि रूसी लोग खुद जब प्रतिवेदन आपसे करते है तब आप वीसा दिया करते हो । उन्होंने दो महीने की प्रार्थना की आपने दे दिया । फिर कोई प्रार्थना की नहीं, आपने दिया नहीं ।

श्री म० क० चागला चालाकी नहीं करता हूं । मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना है, अब आप मेरी बात को सुनें ।

[Shri M. C. Chagla]

Shri George Fernandes asked a question: what is the legal position, what happens when the visa has expired. Technically, there is no legal obligation on us to compel a person to leave the country or throw him or her out if he or she has overstayed the visa.

Please note the crucial date. The application for the extension of the visa was made through the Russian Embassy on the 24th of February This date is very relevant in the light of the letter on which Dr. Lohia has so strongly relied. And the visa was extended not upto the 3rd of March, as Shri George Fernandes has stated, but upto the 15th of March.

Shri Nambiar: A very able judgment is being delivered.

Shri M. C. Chagla: I am not delivering a judgment. My duty to this House is to state the facts.

Shri C. K. Bhattacharyya (Raiganj): Judgment is very distasteful to them.

Shri M. C. Chagla: Now, names of officials have been mentioned I am surprised that my hon. friend, Shri D. C. Sharma, who is usually very responsible...

Shri D. C. Sharma: I have spoken with the fullest sense of responsibility. I have not given the name of the place where the conspiracy was hatched. I have not given the names. I am keeping them away from the House.

Shri M. C. Chagla: He has given the names. I will tell you what happened. She comes to Delhi on the 5th and she goes and stays with Shri Dinesh Singh. She goes and she has dinner with Shri Kaul on the 5th of March. At that dinner there was no one present except Shri Kaul, his wife and his daughter. No outsider was present, whether Indian or foreign. Shri Kaul knew her in Moscow; his daughter knew her and, I believe, his wife also knew her. So, it was purely a sort of family gathering. It was on the 5th of March and she came to Shri Kaul's house straight from Shri Dinesh Singh's House. Madam Svetlana was dropped at Shri Dinesh Singh's house after dinner at about 10 p.m. on the 5th of March and stayed the night there. Madam Svetlana had promised to go to Shri Kaul's house for her dinner on the 6th evening also, but did not go there and telephoned that she was not feeling well and would go there the next evening

It was on the 7th March night at 2 30 a.m. that the Soviet Embassy informed Shri Kaul that Madam Svetlana had left the previous night for Rome.

These are the facts It is absolutely false and baseless that Shri Kaul and Shri L. K. Jha conspired with a CIA agent to whisk her away from this country to the United States Shri L. K. Jha does not come into the picture at all I do not know whether he even knows her. He has never met her. Shri Kaul knows her well because she was in Moscow and he was our Ambassador in Moscow She is quite a friend of his, otherwise, he would not have asked her to dinner. It is for the first time that I hear the name of Shri L. K. Jha though this controversy has gone on for days in the papers.

Shri D. C. Sharma: You will hear more names as the controversy goes on.

Shri M. C. Chagla: Thanks to Shri Sharma more names will come in. I say, there is absolutely no basis.

An hon. Member: Shri Sharma had a dream.

Shri M. C. Chagla: Let us see what happened. On the 6th evening she goes to the American Embassy and gets a visa which is perfectly valid and which she could do under the law. She goes to the airport accompained by this American gentleman, Mr. Rayle. Several questions have been asked of me as to what happened at the Palam Airport. Let me make it clear.

I have ascertained it from the Reserve Bank and from the Finance Ministry. The ticket was properly paid for. There were two tickets, one for the American gentleman who accompanied her and the other for herself It was paid for partly in dollars and partly in Indian currency Questions have been asked about the P form The rule is that a foreigner does not require the P form In this case she did not require the P form. If a foreigner stays for a short period, no P form is required She went through immigration and customs She was treated as any one of us would be treated, namely, she was there as an ordinary person leaving Delhi for abroad.

Therefore, all this talk of conspiracy is baseless You do not have a conspiracy and take a woman openly to Palam Airport, make her go through immigration and customs, buy the ticket openly, show the passport and the visa I am surprised that anyone should harbour it in his mind this idea of a conspiracy Is it how conspiracies are hatched?

Shri Umanath: May I just elicit (*Interruptions*)

Shri C. K. Bhattacharyya: Do not interrupt the Minister We want to hear him.

Shri M. C. Chagla: I will answer your question.

Shri Umanath: Are you asserting certainly that if the ticket is purchased by a foreigner in Indian currency partly, it does not require the P form? Are you sure about it?

डा० राम मनोहर लोहिया . यह नकली बहस चल रही है। असली बहस तो भारत और स्वैतलाना की है। सी० आई० ए० और अमरीका की बहस फिजूल है। स्वैतलाना ने कहा है

"I am tired and disgusted.' वह साफ कह रही है कि ये लोग उसको नहीं रहने देते।

सभापति महोदय बहस में जो पायंट्स उठाए गए हैं, मिनिस्टर साहब उनका जवाब दे रहे हैं।

श्री म० क० चागला मैं अभी उस बात पर आता हूं।

श्री शशिभूषण वाजपेयी (खारगौन) इस तरह की नकली चिट्ठिया लिखवाना हकीम लोहिया की आदत हो गई है।

Shri M. C. Chagla: I have ascertained the correctness of every statement that I have made here. The P form is not necessary and a ticket can be purchased by a foreigner in Indian currency or in foreign currency.

As I had said before I was interrupted, is this how conspiracies are hatched? If there was a conspiracy between Shri Dinesh Singh, Shri Kaul, Shri L K Jha, the American Embassy and the CIA to whisk her away, would they take her to the Palam Airport, keep her there for an hour so that everybody could see her, make her go through immigration and customs?

An hon Member: What else?

Shri M. C. Chagla: I cannot understand it

Shri Nambiar: It is under the shadow of your Government

Shri M. C. Chagla: My hon friend Dr Lohia is getting impatinet about his letter Let me come to it

Shri C. K. Bhattacharyya: These are brainwaves which they cannot shake off

Shri M. C. Chagla: This letter has been flourished as if it clinches the matter Far from clinching the matter, if anything it bears out what statements I have made in this House, in the other House and also here in my answers to questions The relevant paragraph I shall read. But first of all, will you please note the date? It is dated the 10th February. It is a crucial date

An hon. Member: Who wrote it?

Shri M. C. Chagla: This is a letter written by Madam Svetlana to Advocate Bahri, the only document on which Dr. Lohia has relied and which my hon. friend, Shri Limaye thinks clinches the matter. Let us see whether it clinches the matter. Note the date; it is 10th of February. And what is the paragraph? Let me read:

> "So, finally, it is decided that on the 1st of March, I am leaving for Moscow. Raja Sahib was very happy to learn that and now he is very nice to me."

What is wrong about Raja Sahib being happy to know that she was going home to her children? (*Interruption*) May be, he might have persuaded her....

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी): जब कोई जा रहा हो, तो क्या ऐसी ही बात कही जाती है ?

Shri M. C. Chagla: The charge is not that Shri Dinesh Singh or any relation of hers did not persuade her to go back home. The charge is—let us face it—that Shri Dinesh Singh forced her out of India, refused to keep her here, conspired with the United States' officials and drove her out

डा० राम मनोहर लोहिया . यह गलत बात है। यह सिर्फ कम्युनिस्ट लोग कह रहे हैं। मैंने नही कहा है। मैंने कहा है कि आपने उनको यहा रहने नही दिया।

श्री मु० क० चागला : मैं उसी का जवाब दे रहा हू।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह बेचारी टायर्ड एंड डिसगस्टिड है।

Shri M. C. Chagla: Now, as I said, the date is very crucial, the 10th of February. The visa was renewed by the External Affairs Ministry on the 24th of February. If Mr. Dinesh Singh or any official of the External Affairs Ministry did not want her to stay here, why did they extend the visa?

Shri Nambiar: To create the conditions for taking her to America.

Shri M. C. Chagla: What condition? (*Interruption*) We were within our right not to extend her visa Her visa had expired; she was a foreigner and we could have said that she had come on a particular visa which had expired. We did not do it Why?

डा० राम मनोहर लोहिया : यह मैं आपको बताऊं। आप सब जानना चाहते हैं? उस बेचारी को धोखा दिया गया। उसे कहा गया कि अब चली जाओ, अक्तूबर मे हम तुम को वापस बुला लेंगे। उसके अलावा उसको तंग कर डाला। कभी बच्चो की बात कही, कभी तंदुरुस्ती की बात कही, कभी गर्मी की बात कही। उसने कहा, "आई एम टायर्ड एंड डिसगस्टिड टु कान्टीन्यु दि टाक"। उस को क्यो नही पढ़ते ?

Shri M. C. Chagla: I am not going to deal with the conversation that Dr Lohia might have had with her I do not know it I am reading the documents.

डा० राम मनोहर लोहिया यहा लिखा हुआ है, "आई एम टायर्ड एंड डिसगस्टिड टु कान्टीन्यु दि टाक"।

श्री जार्ज फरनेंडीज : मंत्री महोदय कानून के बहुत बड़े पंडित है, लेकिन वह चिटठी का एक ही हिस्सा क्यो पढ़ते हैं। वह उसके पहले का वाक्य क्यों नहीं पढ़ते हैं ?

श्री एम० सी० चागला : मैं पूरी चिट्ठी पढ़ देता हूं।

> "Once again, I want to thank all of you for those nice days I have spent in Allahabad and Banaras. It was very pleasant to meet friendly people and though they could not possibly

help me in realising my wish, they had shown understanding and sympathy. Maybe, it was my mistake that I did not use all the possibilities but I am tired and disguested to continue the talk about the matter."

डा० राम मनोहर लोहिया . अब आए रास्ते पर। अब जरा कृष्णमाचारी के रास्ते पर आए। लेकिन अफसोस यह है कि फिर उन्हीं लोगो के साथ बैठ जाते हैं।

Shri M. C. Chagla: This, again, does not indicate that she was being forced to go out of India. It may be that Shri Dinesh Singh might have told her, "Your home is in Russia; your children are there."

डा० राम मनोहर लोहिया : उसका घर यहा था।

Shri M. C. Chagla: Does this expression show that Shri Dinesh Singh forced her out of India?

Since yesterday when the Chairman asked me to get an assurance from Mr. Dinesh Singh, I have personally talked to him. (*Interruptions*)

श्री मधु लिमये: स्वेतलाना तो गंगा में डूबने की बात करती थी।

डा० राम मनोहर लोहिया : अरे छागला साहब, जरा थोडा सा कुछ समझो।

Shri K. Narayana Rao (Bobbili): Everybody had taken his time to express his opinion. Now let them hear the Minister patiently.

डा० राम मनोहर लोहिया : उस बेचारी को गंगा में डूब जाने देते तो अच्छा होता।

उपसभापति महोदय : डा० साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उन्हें कम्पलीट करने दीजिये।

Shri M. C. Chagla: Now a distiction has been made or sought to be made that I have merely stated that no request was made for her stay her either to the Government or to the Minister and the insinuation is that she might have made that request to Mr. Dinesh Singh in his personal capacity. I have the authority to state to this House categorically that at no time, either orally or in writing, did she make a request to him either in his capacity as Minister of State for External Affairs or in his personal capacity as a relation of hers through Shri Brijesh Singh This is a categorical statement that I am making to this House.

An hon. Member: Why does he not make it?

Shri C. K. Bhattacharyya: What is the harm if he makes it? Strange are the ways of Opposition!

Shri M. C. Chagla: Dr. Lohia says, why don't we send somebody to bring her back?

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal): Not somebody.

An hon. Member: Some lady

डा० राम मनोहर लोहिया : अरे भेजो न इन्दिरा इन्दिरा जी को। जवाहरलाल की लड़की जाकर स्टालिन की लडकी को ले आये।

Shri M. C. Chagla: In the first place, we did not ask her to go away. In the second place, she is a free agent staying in Switzerland and if she wants to come back to India, she is most welcome; if she applies for a visa to our Embassy in Switzerland, we will certainly consider it.

डा० राम मनोहर लोहिया : देखिये, इन्होंने "कन्सीडर" कहा है, जैसे कोई नौकरी की अर्जी पर विचार कर रहे हैं।

श्री मधु लिमये . यह नौकरशाही जुबान है।

श्री म० क० चागला यह बात समझनी चाहिये कि कोई भी एप्लीकेशन मिनिस्टर को आती है, उस पर वह गौर करता है और फिर उस पर फैसला करता है. . .

डा० राम मनोहर लोहिया अरे जाओ, वहां से उसको बुलाकर लाओ, उसके साथ जो बेइन्साफी हुई है (**व्यवधान**)

"She is certainly welcome" बोला ।

सभापति महोदय इनको कम्पलीट करने दीजिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं तो चुप बैठा हूं, जो-जो काम वह कर रहे हैं, आप देख रहे है।

Shri M. C Chagla: I think I have dealt with almost all the points

My hon friend, Mr. Limaye, read a passage from the *New York Times*. Since when has he started taking every thing that appears in the *New York Times* as true?

श्री मधु लिमये वह स्वेतलाना के पत्र से उद्धरण है।

श्री शिव नारायण (बस्ती) झूठी-झूठी बातें कहते है।

श्री मधु लिमये : क्या झूठी बातें कहते है? क्या वह पत्र जो रखा गया है, झूठा है?

एक माननीय सदस्य क्या आप उस पत्र के कारस्पोन्डेन्ट हैं?

श्री मधु लिमये वह एक खत में कोटेशन है।

Shri M C. Chagla: A very important question has been asked by Mr. George Fernandes and want to make the record clear

The question was asked was any letter written to any. . (*Interruptions*).

Shri Sheo Narain: If they do not want to listen, let this be dropped.

Mr. Chairman: The Minister may proceed and conclude.

Shri M. C. Chagla: I will be brief. But I do not want it to be said that I have not answered all points.

A question was asked by Shri George Fernandes. It was a categorical question and I am going to give a categorical answer. The question was whether any letter was written to any American official by Shri Kaul or by Shri Dinesh Singh. My categorical answer is 'No'. No letter was written to any American official in this connection either by Shri Dinesh Singh or by Shri Kaul

Shri George Fernandes: In his personal capacity

Shri M. C. Chagla: It is a gross libel to suggest that either of these gentlemen was in collusion with American officials, which is the insinuation underlying the question.

An hon. Member: Mr Rayle Second Secretary

Shri M C Chagla: Lest it should be said that my answer is not complete. I want to add this: no letter was written either by Shri Dinesh Singh or by Shri Kaul or by any official of the External Affairs Ministry, whether he was a joint secretary, deputy secretary or section officer

डा० राम मनोहर लोहिया क्या वह बेवकूफ हैं, जो खत लिखते।

श्री मधु लिमये : क्या टेलीफोन नहीं है, क्या मिल नहीं सकते हैं?

Shri M C Chagla: I have answered the question.

I think it was Shri Dwivedy who is usually very responsible or somebody else who asked: have we not got other matters to discuss in our country? We have the food problem, we have drought. The Finance Minister is here. We have to think of our economy Why are we spending hours on this question? Why? I agree with the human point of view. But are we going to exploit everything that happens in this country for

[Shri M. C. Chagla]

political purposes? Surely we have more important things to engage ourselves in. I have answered this question here once before. Today it has taken two hours. I had the same experience in the other place. Shri Sharma says that people are still not satisfied, talk is going on in the lobbies and so on.

डा० राम मनोहर लोहिया : लंका में भी विभीषण होते हैं, शर्मा एक निकले तो सही।

Shri M. C. Chagla: Surely MPs have more important things to think of. That is what I have to say.

May I in conclusion say that I hope that Members of Paarliament will not continue to make allegations contrary to established facts or evidence about which they are not certain so that no misunderstanding is caused between our country and friendly countries?

Shri Vasudevan Nair: Have an inquiry into it.

Shri M. C. Chagla: My appeal to this House is: do not make political capital out of this. We have friends outside India. Let us not spoil our relations with our friends. I appeal to this side I appeal to the other side.

Shri Vasudevan Nair: Does he think that it is not already spoiled by Government's conduct?

Shri M. C. Chagla: I think I have clearly established that Government have nothing to do with this matter.

Some Hon. Members: No, no.

डा० राम मनोहर लोहिया : इसका निर्णय भी आप ही देंगे।

Mr. Chairman: The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday.

18.58 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 3, 1967/Chaitra 13, 1889 (Saka).

GMGIPND—LS II—30 (Ai)LSD—4-5-67—670.